मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–............/10/2014/पनि(नौ) इन्दौर, दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान कमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाई गई है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है ।

2/ आयोग द्वारा विचारोपरांत आपकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है तथा यह पाया जाता है कि आपके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है व पुलिस द्वारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टया आपके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाई गई है। क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाई गई है।

विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध आई साक्ष्य एवं विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

3/ अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

4/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–339/10/2014/पनि (नौ) इन्दौर, दिनांक 08-07-2016

प्रतिलिपिः– 1. शोएब अली 834, खातीवाला टैंक, माणिकबाग रोड, इंदौर (म.प्र.)
2. समस्त लोक सेवा आयोग..........................की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–............/10/2014/पनि(दस) इन्दौर, दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाई गई है। इस आधार पर आपको दिनांक 10.11.2015 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है ।

विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध आई साक्ष्य एवं विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

3/ अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

4/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–340/10/2014/पनि (दस) इन्दौर, दिनांक 08-07-2016

प्रतिलिपिः– 1. अवधेश पाराशर, न्यू शिव कॉलोनी रिलायन्स टॉवर के पास, बायपास रोड, शिवपुरी.
2. समस्त लोक सेवा आयोग..की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–........../10/2014/पनि(छः)   इन्दौर,दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक–26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 03.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

''आवेदक' पर जो आरोप लगाया गया है कि इस अपराध की विवेचना में मुझे धर्मवीर दिनकर को भी संलिप्त पाया जाकर यह पाया गया कि मेरे व्दारा उक्त परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से राज्य सेवा परीक्षा 2012 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व ही प्राप्त किये थे । पुलिस थाना,एस. टी.एफ,भोपाल ने धारा 27 का मेमोरेण्डम जो चालान के साथ में प्रस्तुत किया है वह आवेदक के सामने नहीं लिखा गया था । आवेदक से केवल कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये गये थे । अतः आवेदक के खिलाफ निकाला गया कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाय ।

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राहयता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–337/10/2014/पनि (छः)   इन्दौर, दिनांक 01-07-2016

प्रतिलिपिः– 1. धर्मवीर दिनकर, पिता श्री–बालमुकुंद दिनकर, एच.एच. चौराहा हरदेव सिंह की टाल, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)
2. समस्त लोक सेवा आयोग..की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–........../10/2014/पनि(पॉच) इन्दौर,दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 07.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

पुलिस एस.टी.एफ व्दारा प्रार्थी पर दबाव डालकर और भय दिखाकर प्रार्थी से कोरे कागजातों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिये गये प्रार्थी व्दारा जिस प्रकार की जानकारी पुलिस एस.टी.एफ व्दारा देना बताई गई है इस प्रकार की कोई जानकारी प्रार्थी व्दारा पुलिस एस..टी.एफ को नहीं दी गई है । किसी भी प्रार्थी को उसके नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक मामला न्यायालय में दोषसिद्व/दोषमुक्त नहीं कर देते।"

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राह्यता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्व संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–326/10/2014/पनि (पॉच) इन्दौर, दिनांक 07-07-2016

प्रतिलिपिः– 1. दिनेश रघुवंशी, पिता श्री–रामबाबू रघुवंशी, शिव दुर्गा मंदिर के पास, हनुमान कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र.)

2. समस्त लोक सेवा आयोग..की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–............/10/2014/पनि(आठ) इन्दौर, दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्ध चालान कमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस हेतु आपसे दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुए 15 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया था। किन्तु आपसे प्रत्युत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2/ आयोग द्वारा विचारोपरांत आपकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है तथा यह पाया जाता है कि आपके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है व पुलिस द्वारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टया आपके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाई गई है। क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाई गई है। विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध आई साक्ष्य एवं विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

3/ अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

4/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–338/10/2014/पनि (आठ) इन्दौर, दिनांक 08-07-2016
प्रतिलिपि:–
1. हेमंत गौतम सुनरख रमनरेती वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.)
2. समस्त लोक सेवा आयोग...की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–........../10/2014/पनि(सात) इन्दौर,दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 07.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

पुलिस एस.टी.एफ व्दारा प्रार्थी पर दबाव डालकर और भय दिखाकर प्रार्थी से कोरे कागजातों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिये गये प्रार्थी व्दारा जिस प्रकार की जानकारी पुलिस एस.टी.एफ व्दारा देना बताई गई है इस प्रकार की कोई जानकारी प्रार्थी व्दारा पुलिस एस..टी.एफ को नहीं दी गई है । किसी भी प्रार्थी को उसके नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक मामला न्यायालय में दोषसिद्व/दोषमुक्त नहीं कर देते ।

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राह्यता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्व दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्व संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–343/10/2014/पनि (सात) इन्दौर, दिनांक 08-07-2015

प्रतिलिपि:– 1. प्रमोद शर्मा, पिता श्री–पूरनचंद्र शर्मा, हरिओम आटा चक्की के पास, हनुमान कॉलोनी जिला गुना (म.प्र.)

2. समस्त लोक सेवा आयोग..................................की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–............/10/2014/पनि(दो) इन्दौर,दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान कमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 23.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

"आवेदिका के विरूद्ध थाना एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा अप.क्र. 14/2014 के तहत कार्यवाही/विवेचना उपरांत उसके विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय भोपाल के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। किन्तु आवेदिका द्वारा थाना एस.टी.एफ. पुलिस को कथित मेमोरेण्डम दिया गया था। जबकि वास्तविकता यह है कि संबंधित पुलिस द्वारा आवेदिका को डरा धमकाकर उससे कुछ कोरे पेपर पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। आवेदिका द्वारा कभी भी कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राह्यता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्व दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्व संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–334/10/2014/पनि (दो) इन्दौर, दिनांक 03-07-2017

प्रतिलिपि:– 1. प्रशा सिंह भदौरिया पिता श्री–जितेन्द सिंह भदौरिया सी–105, वैशाली नगर, थाना अन्नपूर्णा, इंदौर (म.प्र.)

2. समस्त लोक सेवा आयोग..की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–333.../10/2014/पनि(एक) इन्दौर,दिनांक 08/07/2016

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आप को आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 09.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

"जो आरोप प्रार्थी पर लगाये गये है वह बिना किसी तथ्य व जानकारी के लगाये है । प्रार्थी को इस प्रकार के किसी भी अपराध की कोई जानकारी नहीं है । पुलिस एस.टी.एफ व्दारा तथाकथित धारा–27 साक्ष्य विधान का मेमोरेन्डम प्रार्थी से लेना बताया गया है । उक्त मेमोरेण्डम साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और उक्त मेमोरेन्डम के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं की जा सकती।

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राह्यता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–333/10/2014/पनि (एक) इन्दौर, दिनांक 08-07-2016

प्रतिलिपिः– 1. सपना जैन,पिता श्री चक्रेश जैन,दुर्गावती वार्ड, 8 बाजार चौक, लखनादौन, सिवनी (म.प्र.)
2. समस्त लोक सेवा आयोग..........की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–........../10/2014/पनि(चार) इन्दौर,दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 03.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

"आयोग व्दारा जो कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है वह धारा 27 साक्ष्य विधान के आधार पर दिया गया है तथा धारा 27 साक्ष्य विधान के अन्तर्गत दी गई जानकारी साक्ष्य में ग्राहृय नहीं है ।"

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राहृयता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉं आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–342/10/2014/पनि (चार) इन्दौर, दिनांक 08-07-2

प्रतिलिपि:– 1. श्री शरद गुप्ता पिता श्री–रामेश्वर गुप्ता एच.एफ. 383, स्कीम नं. 54,विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)

2. समस्त लोक सेवा आयोग...की और सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–............/10/2014/पनि(ग्यारह)   इन्दौर, दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्ध चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 10.11.2015 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है । क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध आई साक्ष्य एवं विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

3/ अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

4/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–341/10/2014/पनि (ग्यारह)   इन्दौर, दिनांक 08-07-2016

प्रतिलिपि– 1. सुमित शिवहरे, म.नं. 137/37, कमला गंज के पीछे, शिवपुरी.
2. समस्त लोक सेवा आयोग..की
और सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–........../10/2014/पनि(तीन)   इन्दौर,दिनांक ....

::आदेश::

राज्य सेवा परीक्षा–2012 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012 दिनांक 01.10.2012 जारी किया गया था । राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 दिनांक 01.10.2013 से 25.10.2013 तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी । जिला थाना एस.टी.एफ. भोपाल ने आपके विरूद्व चालान क्रमांक 26/14 अपराध क्रमांक 14/14 के तहत आपको आरोपी बनाया है । इस प्रकरण में पुलिस अधिकारी एवं गवाहान के समक्ष आपका बयान भी दर्ज हुआ है। इस आधार पर आपको दिनांक 20.05.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया था। जिसका उत्तर आपने दिनांक 17.06.2016 को दिया गया है आपने अपने उत्तर में कहा है कि :–

"आपके पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आवेदक का प्रकरण आर.टी.क्र. 9283/14 माननीय न्यायालय के समक्ष परीक्षण हेतु लंबित है और इस स्थित में जब कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित होता है तब किसी भी अन्य संस्था व्दारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और अगर ऐसा किया जाता है तो वह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्लंधन है । अतः आवेदक का उत्तर स्वीकार किया जाय और उसे 2012 की साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाय ।"

2/ आपका उपरोक्त उत्तर आयोग व्दारा विचारोपरान्त समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योकि आपके विरूद्व अपराध पंजीबद्व है व पुलिस व्दारा की गई विवेचना में प्रथम दृष्टतया आपके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की ग्राह्यता एवं उसकी विवेचना के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा आपके विरूद्ध दर्ज आपराधिक रूप से दोषी होने/न होने के संबंध में निर्णय किया जावेगा। परंतु आपके विरूद्ध संस्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.टी.एफ. पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ की गई विवेचना में उक्त अपराध में साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आप संलिप्त है और आपका कृत्य परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करता है। इस तरह आपकी संलिप्तता से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता एवं शुचिता प्रभावित हुई है।

अतः आयोग तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कण्डिका 16 सहपठित मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 की कण्डिका 14 (ठ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह पाता है ।

3/ अतः आपको आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 एवं दिनांक 01.10.2013 से 01.10.2015 के मध्य आयोजित एवं विज्ञापित समस्त परीक्षाओं के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है।

(डॉ आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ0 क्रमांक–335/10/2014/पनि (तीन)   इन्दौर, दिनांक 01-07-2016

प्रतिलिपिः– 1. उदय सिंह धाकड, पिता श्री–रामबाबू धाकड ग्राम पोस्ट बरखेडा, गिर्द थाना, बजरंगगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

2. समस्त लोक सेवा आयोग..की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक